न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2025/1340

आम जनता केला का बास एवं ग्राम चिलपली, तहसील आंधी, जिला जयपुर जरियेः–

1. कैलाश पुत्र नाथूराम गुर्जर,
2. साधूराम पुत्र रामकुंवार गुर्जर,
3. श्रवण पुत्र भूरा गुर्जर, निवासी ग्राम चिलपली, तहसील आंधी जिला जयपुर।
4. हरिराम यादव पुत्र श्री प्रभु यादव, जाति यादव,
5. मुरारी खोरवाल पुत्र स्व. श्री गोपीराम, जाति रैगर,
6. बाबूलाल यादव पुत्र श्री लक्ष्मीराम, जाति यादव निवासी ग्राम केला का बास, तहसील आंधी जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जरिये राजकीय प्राथमिक विधालय मेहता की ढाणी, ग्राम केला का बास, तहसील आंधी जिला जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विधालय मेहता की ढाणी, ग्राम केला का बास, तहसील आंधी जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांकः 23.12.2025

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2025 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 75 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण ग्राम चिलपली एवं ग्राम केला का बास के मूल निवासी है। ग्राम चिलपली स्थित राजकीय प्राथमिक विधालय में ग्राम चिलपली के निवासियों के बच्चे अध्ययनरत है तथा मेहता की ढाणी ग्राम केला का बास स्थित प्राथमिक विधालय में ग्राम केला का बास के निवासियों के अध्ययनरत है इसलिये उक्त आवंटन आदेश से दोनों ग्राम के निवासियों एवं स्कूल में अध्ययनरत बच्चो के हित विपरीत प्रभावित हो रहे है। इसलिये दोनों ग्राम के निवासीगण अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने के कारण उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन आवंटन/कार्यालय आदेश दिनांक 15.01.2025 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ विधि विधान एवं वास्तविकता के विपरीत होने के साथ–साथ अनुपयोगी आवंटन आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने तथा पुनः उपयुक्त स्थान पर खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन

P.T.O.

किया है कि अपीलाधीन आवंटन/कार्यालय आदेश दिनांक 15.01.2025 पारित करने से पूर्व आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने दोनों ही ग्रामों के मूल निवासियों एवं स्कूल में अध्ययनरत बच्चो के हितों एव ग्राम केला का बास में स्कूल भवन से मात्र 120 मीटर दूर स्थित खसरा नम्बर 237 में 33.0800 हैक्टयर भूमि उपलब्ध होने के बावजूद स्कूल भवन से एक किलोमीटर दूर खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने का सरासर मनमाना एवं अनुपयोगी आदेश पारित किया गया जो निरस्तनीय किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार आंधी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 25.11.2024 के आधार पर उक्त आवेदन के साथ संलग्न "राजकीय विभागों की भूमि आवंटन की निर्धारित चेकलिस्ट में अंकित क्रम संख्या विभिन्न बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 15/12 में स्पष्ट रूप से आवंटित भूमि ग्राम केला का बास की आबादी में स्थित स्कूल में एक किलोमीटर की दूरी पर होना अंकित किया है तथा बिन्दु संख्या 15/13 में विधालय से दूर प्रस्तावित की भूमि की दूरी बिना किसी आधार पर साक्ष्य तथा वास्तविकता के विपरीत मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थिति होना अंकित किया है, जो तहसीलदार आंधी द्वारा तैयार की गई चेकलिस्ट में अपने द्वारा बिन्दु संख्या 15/12 में अंकित उद्‌घोषणा के परस्पर विरोधाभासी है। इस प्रकार अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने चेकलिस्ट में वर्णित तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए प्रस्तावित भूमि को आंवटित किये जाने का अनुपयोगी एवं विधि विरूद्ध आदेश प्रदान किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 25.11.2025 के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि मेहता की ढाणी, ग्राम केला का बास स्थित प्राथमिक विधालय हेतु उक्त ग्राम केला का बास में लगभग एक किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नही है। इसलिये ग्राम चिलपली स्थित खसरा नम्बर 480/456 में से 0.80 हैक्टयर भूमि आवंटित की जावें। पटवारी हल्का बहलोड एवं आई. एल. आर. रायसर द्वारा दिनांक 21.11.2024 को तैयार की गई उक्त रिपोर्ट के अनुसार जब ग्राम केला का बास में ही एक किलोमीटर की दूरी तक कोई भूमि उपलब्ध नही है तो ग्राम चिलपली में स्थित भूमि की दूरी 100 मीटर कैसे हो सकती है। यद्यपि उक्त रिपोर्ट सरासर आधारहीन है क्योंकि मेहता की ढाणी ग्राम केला का बास स्थित स्कूल खसरा नम्बर 236/240 रकबा 0.1300 हैक्टयर में बनी हुई है, और उक्त स्कूल भूमि के पास खसरा नम्बर 237 रकबा 33.08 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 238 रकबा 32 हैक्टयर राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकिन चारागाह की भूमि मौजूद है। जिसकी स्कूल भवन से दूरी मात्र 120 मीटर है, किन्तु फिर भी आवंटन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने अपना न्यायिक विवेक लगाये बिना ही केवल मात्र प्रस्ताव एवं उसके संलग्न रिपोर्ट आदि के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वास्तविकता में जिस स्थान पर खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटित एवं नक्शे में चिन्हित की गई है, उस स्थान की दूरी एक किलोमीटर है लेकन पटवारी रिपोर्ट अनुसार सड़क मार्ग से 100 मीटर की दूरी तथा वास्तविकता में अपीलार्थीगण व ग्राम पंचायत केला का बास के अनुसार एक किलोमीटर की दूरी है जो भविष्य में अल्पायु के बच्चो के जीवन के साथ संभावित दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है जबकि ग्राम केला का बास में आवंटन योग्य सिवायचक एवं चारागाह भूमि उपलब्ध है तो फिर किसी भी सड़क को पार करने अथवा सड़क मार्ग से होकर खेल के मैदान तक जाने का

P.T.O.

जोखिम लेने की क्या आवश्यकता है। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आवंटन आदेश प्रसारित करने से पूर्व अपने सामान्य ज्ञान एवं न्यायिक व माननीय दृष्टिकोण का उपयोगकिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील के समस्त तथ्यों एवं प्रार्थना पत्रादि के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं आम जनता ग्राम केला का बास एवं ग्राम चिलपली तथा उनके बच्चों के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ दिनांक 15.01.2024 निरस्त कर खेल के मैदान हेतु स्कूल भवन से मात्र 120 मीटर की दूरी पर मौजूद खसरा नम्बर 237 रकबा 33.080 हैक्टयर भूमि में से खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि तहसीलदार आंधी द्वारा राजकीय प्राथमिक विधालय मेहता की ढाणी, तहसील आंधी के खेल मैदान हेतु ग्राम चिलपली के खसरा नम्बर 480/456 रकबा 5.74 हैक्टयर में से 0.80 हैक्टयर भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में भूमि आवंटन प्रस्ताव भिजवाये गये है जिसके आधार पर आवंटन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 236/240 रकबा 0.13 हैक्टयर वाके ग्राम चेला का बास राजकीय प्राथमिक शाला मेहता की ढाणी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा उक्त विधालय के खेल मैदान हेतु राजस्व ग्राम चिलपली के खसरा नम्बर 480/456 रकबा 5.74 हैक्टयर में से 0.80 हैक्टयर भूमि का आवंटन किया गया है जबकि उक्त विधालय के समीप ही आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 33.0800 हैक्टयर राजकीय चारागाह भूमि अवस्थित है। ऐसी स्थिति में उक्त विधालय में अध्ययनरत विधार्थीओं की सुविधाओं एवं सुरक्षाओं के मध्यनजर विधालय के समीप ही खेल मैदान हेतु आराजी खसरा नम्बर 237 में से आवंटित किया जाता तो संभवतया अधिक सुविधाजनक होगा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय प्राथमिक शाला, मेहता की ढाणी, केला का बास के लिये खेल मैदान हेतु विधालय के नजदीक यदि राजकीय भूमि उपलब्ध हो तो उसका सर्वेक्षण कराया जाकर यदि उपलब्ध भूमि उपयुक्त हो तो, विधार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तदानुसार भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करावें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।